International Journal of Advance and Applied Research (IJAAR)
Peer Reviewed Bi-Monthly
ISSN – 2347-7075
Impact Factor – 0.899
Vol.2 No.2 Nov - Dec 2014

वर्तमान में बाबा साहेब की प्रासंगिकता

डॉ. श्रीकांत बी. संगम
सह प्राध्यापक, हिन्दी विभाग,
सी.एस.बी. कला, एस.एम.आर.पी. विज्ञान और
जी.एल.आर. वाणिज्य स्नातक महाविद्यालय, रामदुर्ग-591123
Email: sbshindi@gmail.com

अम्बेडकर का सम्पूर्ण जीवन भारतीय समाज में सुधार के लिए समर्पित था। अस्पृश्यों तथा दलितों के वे मसीहा थे। उन्होंने सदियों से पद-दलित वर्ग को सम्मानपूर्वक जीने के लिए एक सुस्पष्ट मार्ग दिया। उन्होंने दलित वर्ग पर होनेवाले अन्याय का ही विरोध नहीं किया अपितु उनमें आत्म-गौरव, स्वावलंबन, आत्मविश्वास, आत्म सुधार तथा आत्म विश्लेषण करने की शक्ति प्रदान की। दलित उद्धार के लिए उनके द्वारा किए गए प्रयास किसी भी दृष्टिकोण से आधुनिक भारत के निर्माण में भुलाये नहीं जा सकते। पं. नेहरू के शब्दों में डॉ. अम्बेडकर हिन्दू समाज की दमनकारी प्रवृत्तियों के विरुद्ध किए गए विद्रोह का प्रतीक थे।

डॉ. बाबासाहेब अम्बेडकर जी के सार्वजनिक जीवन की शुरूआत लगभग सन् 1920 से शुरू हुई थी। उनके पहले महात्मा फुले, राजर्षि शाहू महाराज आदि महापुरुषों ने दलित समाज के उत्थान के लिए कार्य तो किए थे, पर डॉ. बाबासाहेब अम्बेडकर जी मूलतः दलित वर्ग के होने के कारण उन्होंने बचपन से ही अमानवीय व्यवहार को भोगा था। इसलिए उनके कार्य में एक प्रकार की तीव्रता तथा उत्कट जिजिविषा थी। उनका मानना था कि शिक्षा में ही इस समाज में परिवर्तन संभव है। दलितों में जागृति निर्माण करने के लिए जनवरी 1920 में 'मूकनायक' अप्रैल में 'बहिष्कृत भारत' यह पाक्षीक निकला तथा जुलाई 1924 में 'बहिष्कृत हितकारिणी सभा' की स्थापना की। उनके जीवन का एकमात्र लक्ष्य था दलित समाज का सर्वांगीण विकास और कल्याण। वे हमेशा कहते थे कि- 'मेरी कोई आकांक्षा नहीं है। मुझे इस बात का गर्व है कि मैं दलित वर्ग में पैदा हुआ हूँ तथा दलितों के हक और अधिकार की लडाई लड रहा हूँ।'

भारतीय आर्यों के सामाजिक संगठन का आधार चतुर्वर्ण व्यवस्था रहा है। इस आधार पर समाज को अपने कार्य के आधार पर चार भागों में विभाजित कर रखा था। अम्बेडकर ने इस व्यवस्था को अवैज्ञानिक, अत्याचारपूर्ण, संकीर्ण, गरिमाहीन बताते हुए इसकी कटु आलोचना की। उनके अनुसार यह श्रम के विभाजन पर आधारित न होकर श्रामिकों के विभाजन पर आधारित था।

अम्बेडकर का मत था कि उन्नत तथा कमजोर वर्गों में जितना उग्र संघर्ष भारत में है वैसा विश्व के किसी अन्य देश में नहीं है। ऐतिहासिक आधारों पर अम्बेडकर ने यह स्पष्ट करने का प्रयास किया कि शूद्रों की उत्पत्ति तथा हीनता का कारण वे स्वयं न होकर ब्राह्मणों का जान-बूझकर किया गया प्रयास था।

महात्मा गांधीजी और बाबासाहेब दोनों ने स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात सामाजिक निर्माण पर बल दिया। बाबा साहेब का मानना था कि राजनीतिक प्रजातंत्र के साथ हमें सामाजिक प्रजातंत्र की भी आवश्यकता है, वह कहते थे कि सामाजिक प्रजातंत्र एक ऐसी जीवन पद्धति है जिसमें स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व को जीवन के सिद्धांतों के रूप में अपनाया जाता है। सामाजिक धरातल पर भारत में बहुस्तरीय असमानता है, कुछ को विकास के अवसर और अन्य को पतन को जिस समाजवाद की बात बाबासाहेब अपने भाषण और वक्तव्यों में करते हैं। उसे उनके कथित उत्तराधिकारियों ने सिर्फ एक वर्ग विशेष का समाजवाद बनाकर आज राजनीतिक स्थायित्व

की खोज में हैं। वे मानते थे कि यदि हमें वास्तव में एक राष्ट्र बनना है तो इस कठिनाईयों पर विजय पानी होगी, क्योंकि बंधुत्व तभी स्थापित हो सकता है जब हमारा एक राष्ट्र हो।

डॉ. अम्बेडकर समानता को लेकर काफी प्रतिबद्ध थे। उनका मानना था कि समानता का अधिकार धर्म और जाति से ऊपर होना चाहिए। प्रत्येक व्यक्ति को विकास के समान अवसर उपलब्ध कराना किसी भी समाज की प्रथम और अंतिम नैतिक जिम्मेदारी होनी चाहिए। अगर समाज इस दायित्व का निर्वहन नहीं कर सके तो उसे बदल देना चाहिए। वे मानते थे कि समाज में यह बदलाव सहज नहीं होता है, इसके लिए कई पद्धतियों को अपनाना पड़ता है। आज जब विश्व एक तरफ आधुनिकता की ओर बढ़ रहा है तो वहीं दूसरी तरफ विश्व में असमानता की घटनाएँ भी देखने को मिल रही हैं। इसमें कोई दो राय नहीं है कि असमानता प्राकृतिक है, जिसके चलते व्यक्ति रंग, रूप, लम्बाई तथा बुद्धिमत्ता आदि में एक-दूसरे से भिन्न होता है। लेकिन समस्या मानव द्वारा बनायी गई असमानता से है, जिसके तहत एक वर्ग, रंग व जाति का व्यक्ति अपने आप को अन्य से श्रेष्ठ समझ संसाधनों पर अपना अधिकार जमाता है। यूएनओ द्वारा इस संदर्भ में प्रति वर्ष नस्लीय भेदभाव उन्मूलन दिवस मनाया जाता है, जो आज भी समाज में व्याप्त असमानता को प्रकट करता है। भारत में इस स्थिति की गंभीरता को ध्यान में रखते हुए संविधान के अंतर्गत अनुच्छेद 14 से 18 में समानता का अधिकार का प्रावधान करते हुए समान अवसरों की बात कही गई है। यह समानता सभी को समान अवसर उपलब्ध करा सकें। इसके लिए शोषित, दबे-कुचलों के लिए आरक्षण का प्रावधान किया गया। इस प्रकार अम्बेडकर के समानता के विचार न सिर्फ उन्हें भारत के संदर्भ में, बल्कि विश्व के संदर्भ में भी प्रासंगिक बनाते हैं।

अम्बेडकर ने हिन्दू समाज में प्रचलित अस्पृश्यता को अन्यायपूर्वक मानते हुए प्रबल विरोध किया। उनके अनुसार ब्राह्मणों और शूद्र शासकों में अंतर्द्वन्द्व के कारण शूद्रों का जन्म हुआ जबकि प्रारंभ में ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य तीन वर्ग ही हुआ करते थे। शनैः शनैः ब्राह्मणवाद का समाज में वर्चस्व स्थापित हो गया तथा समाज में उनके द्वारा प्रतिपादित नियमों को मानना आवश्यक माना गया। इन नियमों को न मानने वालों को हेय माना गया। इन्होंने विभिन्न ऐतिहासिक उदाहरणों से यह स्पष्ट करने का प्रयास किया कि अस्पृश्यता के बने रहने के पीछे कोई तार्किक, सामाजिक अथवा व्यावसायिक आधार नहीं है। अतः उन्होंने इस व्यवस्था का जोरदार शब्दों में खण्डन किया। उनका दृष्टिकोण था कि यदि हिन्दू समाज का उत्थान करना है तो अस्पृश्यता का जड़ से निराकरण आवश्यक है।

अम्बेडकर ने अस्पृश्यता के निराकरण के लिए केवल सैद्धांतिक दृष्टिकोण ही प्रस्तुत नहीं किया अपितु उन्होंने अपने विभिन्न आन्दोलनों व कार्यों से लोगों में चेतना जाग्रत करने एवं इसके निराकरण के लिए विभिन्न सुझाव भी प्रेरित किए। उन्होंने अस्पृश्यता निराकरण के लिए सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक, नैतिक, शैक्षणिक आदि स्तरों पर रचनात्मक कार्यक्रम तथा संगठित अभियान का आग्रह किया। एक मात्र शिक्षा ही है तभी तो ये सारे अवरोध समाप्त हो जाएँगे और 'सीखो', 'संगठित हो जाओ', तथा 'संघर्ष करो' का नारा बुलंद करके दलित वर्ग भी अपना स्थान अमिट करेंगे यही चाहत वे रखते थे। उन्होंने दलितों को वास्तविक परिस्थिति से अवगत किया था तथा सूचित किया कि, तुम्हें अपनी दासता स्वयं मिटानी है। उसके अंत के लिए ईश्वर पर निर्भर मत रहना। आपकी मुक्ति राजनीतिक शक्ति में निहित है न कि तीर्थ स्थानों में। तुम अपना संघर्ष जारी रखो बुराईयों का त्याग करो जिनमें तुम बर्बाद हो जायेंगे।

अम्बेडकर शिक्षा के महत्व से भली-भाँति परिचित थे। दरअसल अछूत समझी जाने वाली जाति में जन्म लेने के चलते उन्हें अपने स्कूली जीवन में अनेक अपमानजनक स्थितियों का सामना करना पडा था। उनका विश्वास था कि शिक्षा ही व्यक्ति में यह समझ विकसित करती है कि वह अन्य से अलग नहीं है, उसके भी समान अधिकार हैं। उन्होंने एक ऐसे राज्य के निर्माण की बात रखी, जहाँ सम्पूर्ण समाज शिक्षित हो। वे मानते थे कि शिक्षा ही व्यक्ति को अंधविश्वास, झूठ और आडंबर से दूर करती है। शिक्षा का उद्देश्य लोगों में नैतिकता व जनकल्याण की भावना विकसित करने का होना चाहिए। शिक्षा का स्वरूप ऐसा होना चाहिए जो विकास के साथ-साथ चरित्र निर्माण में भी योगदान दे सके। उल्लेखनीय है कि डॉ. अम्बेडकर के शिक्षा संबंधित यह विचार आज शिक्षा प्रणाली के आदर्श रूप माने जाते हैं। उन्हीं के विचारों का प्रभाव है कि आज संविधान में शिक्षा के प्रसार में जातिगत, भौगोलिक व आर्थिक असमानताएँ बाधा न बन सके, इसके लिए मूल अधिकार के अनुच्छेद

21-ए के तहत शिक्षा के अधिकार का प्रावधान किया गया है, जो उनकी प्रासंगिकता को वर्तमान परिप्रेक्ष्य में प्रमाणित करती है।

सामाजिक, राजनीतिक तथा शैक्षिक आदि क्षेत्रों में महामानव डॉ. बाबा साहेब का कार्य अतुलनीय तथा प्रशंसनीय रहा है। शिक्षा के उद्देश्य से उन्होंने 'पिपुल्स एज्युकेशन सोसायटी' नामक संस्था बनाई, बंबई में 'सिद्धार्थ कॉलेज' तथा औरंगाबाद में 'मिलिंद कॉलेज' की स्थापना की। उन्होंने दलितों की व्यथा, वेदना तथा उन्नति विश्व पटल पर कलम से घोषित कर दी। उनके कार्य से प्रभावित होकर देवेंद्र दीपक कहते हैं-

"एक नन्हीं सी किरण अनंत विश्वास और साधना के बल पर अँधेरे घरों में रोशनी देने के लिए कैसे सूरज बन जाती है, एक नन्हासा बीज कैसे विशाल वृक्ष बनने लगता है जो हजारों बेघरों को छाँव देता है, एक नन्हीं सी बूँद कैसे विशाल समुद्र का रूप धारण कर लेती है और असंख्य लोगों की सदियों की तृष्णा शांत करती है और मुंबई के सागर तट महाराष्ट्र की भूमि पर एक अकेले कंठ की पुकारे लाखों-करोंडों मूक-दलित दबे कुचले की ओजस्वी वाणि बन जाती है। यदि इसे समझना है, पहचानना है तो हमें डॉ. अम्बेडकर की जीवन शैली को देखना चाहिए। यह एक मसीहा, एक नए बुद्ध के अवतरण की कथा है।"

बाबा साहेब के जीवन पर गौर करें तो पता चलता है कि उनके सामाजिक चिंतन में अस्पृश्यों, दलितों तथा शोषित वर्गों के उत्थान के लिए काफि संभावना झलकती है। वे उनके उत्थान के माध्यम से एक ऐसा आदर्श समाज स्थापित करना चाहते थे, जिसमें समानताएँ स्वतंत्रता तथा भातृत्व के तत्व समाज के आधारभूत सिद्धांत हो। बाबा साहेब जिस प्रकार से आज प्रासंगिक होते जा रहे हैं वह शायद ही पहले कभी दृष्टिगोचर हुआ हो। आज हर एक आंदोलन में आप प्रायः बाबा साहेब की प्रतिमा के साथ संचालित होते हुए देख सकते हैं। क्योंकि इतने सालों बाद बाबा साहेब का साहित्य और उनका दर्शन जनमानस तक आसानी से पहुँचा रहे हैं। उनके विचार आज किसी न किसी माध्यम से जनता तक सुलभ हो रहे हैं। बाबासाहेब की दूरदर्शिता भी उनको आज के समय में प्रासंगिकता प्रदान करती हैं। अगर इनके विचारों को अमल में लायें तो समाज की ज्यादातर समस्याएँ वर्ण, जाति, लिंग, आर्थिक, राजानीतिक व धार्मिक सभी पहलुओं पर पैनी नजर रखी जा सकती है। साथ ही न्यू इंडिया के लिए एक नया मॉडल व डिजाइन भी तैयार किया जा सकता है।

अम्बेडकर हिन्दू समाज तथा हिन्दू धर्म की उन आधारभूत मान्यताओं के विरुद्ध थे, जिनके कारण अस्पृष्यता जैसी संकीर्णता का जन्म होता है। उनका मानना था कि हिन्दू समाज में स्वतंत्रता, समानता तथा न्याय पर आधारित व्यवस्था स्थापित करने के लिए कठोर नियमों में संशोधन आवश्यक है। उन्होंने इसके लिए धार्मिक कार्यों के लिए ब्राह्मणों के एकाधिकार को समाप्त करने का आग्रह किया। उनके अनुसार उन शास्त्रों को आधिकारिक नहीं माना जाना चाहिए जो सामाजिक अन्याय का समर्थन करते हैं। इस प्रकार अम्बेडकर ने यह स्पष्ट करने का प्रयास किया कि जाति-व्यवस्था भारतीय-समाज की एक बहुत बडी विकृति है, जाति व्यवस्था के कारण लोगों में एकता की भावना का अभाव है, अतः भारतीयों का किसी एक विषय पर जनमत तैयार नहीं हो सकता। समाज कई भागों में विभक्त हो गया। उनके अनुसार जाति व्यवस्था न केवल हिन्दू समाज को दुष्प्रभावित नहीं किया अपितु भारत के राजनीतिक, आर्थिक तथा नैतिक जीवन में भी जहर घोल दिया।

"अछूतों की समस्याओं को हिन्दुओं से न जोडा जाये। अछूत सामाजिक दृष्टि से पूर्णतः शोषित एवं दलित है। इन्हेओ सैकड़ों वर्षो सेऐ सा रखा गया है। इनके लिए शिक्षा के द्वारा बन्द कर दिये गए हैं। ये इन्सान रूपी हैवानियत की जिंदगी के रूप में पशुओं की भाँति इधर-उधर विचरण कर रहे हैं।"

डॉ. अम्बेडकर भारतीय समाज में स्त्रियों की हीन दशा को लेकर काफी चिंतित थे। उनका मानना था कि स्त्रियों के सम्मानपूर्वक तथा स्वतंत्र जीवन के लिए शिक्षा बहुत महत्वपूर्ण है। अम्बेडकर ने हमेशा स्त्री-पुरुष समानता का व्यापक समर्थन किया। यही कारण है कि उन्होंने स्वतंत्र भारत के प्रथम विधिमंत्री रहते हुए 'हिन्दू कोड बिल' संसद में प्रस्तुत किया और हिन्दू स्त्रियों के लिए न्याय सम्मत व्यवस्था बनाने के लिए इस विधेयक में उन्होंने व्यापक प्रावधान रखे। उल्लेखनीय है कि संसद में अपने हिन्दू कोड बिल मसौदे को रोके जाने पर उन्होंने मंत्रिमंडल से इस्तीफा दे दिया। इस मसौदे में उत्तराधिकार, विवाह और अर्थव्यवस्था के कानूनों में नैतिक समानता की बात कही गई थी। दरअसल स्वतंत्रता के इतने वर्ष बीत जाने के पश्चात व्यावहारिक धरातल पर इन अधिकारों को लागू नहीं किया जा सका है, वहीं आज भी महिलाएँ उत्पीडन, लैंगिक भेदभाव, हिंसा, समान

कार्य के लिए असमान वेतन, दहेज उत्पीडन और संपत्ति के अधिकार ना मिलने जैसी समस्याओं से जूझ रही है। इस संदर्भ में ध्यान देने वाली बात है कि हाल ही में समान नागरिक संहिता का प्रश्न पुनः उठाया गया है। उसका व्यापक पैमाने पर विरोध किया गया, जबकि बाबासाहेब अम्बेडकर ने समान नागरिक संहिता का प्रबल समर्थन किया था।

अम्बेडकर ने 1918 में प्रकाशित अपने लेख 'भारत में छोटी जोत और उनके उपचार' (Small Holdings in India and their Remedies) में भारतीय कृषि तंत्र का स्पष्ट अवलोकन किया। उन्होंने भारतीय कृषि तंत्र का आलोचनात्मक परिक्षण करके कुछ महत्वपूर्ण परिणाम निकाले, जिनकी प्रासंगिकता आज तक बनी हुई है। उनका मानना था कि यदि कृषि को अन्य आर्थिक उद्यमों के समान माना जाए तो बड़ी और छोटी जोतों का भेद समाप्त हो जाएगा, जिससे कृषि क्षेत्र में खुशहाली आएगी। उनके एक अन्य शोध 'ब्रिटिश भारत में प्रांतीय वित्त का विकास' (The Evolution of Provincial Finance in British India) की प्रासंगिकता आज भी बनी हुई है। उन्होंने इस शोध में देश के विकास के लिए एक सहजकर प्रणाली पर बल दिया इसके लिए उन्होंने तत्कालीन सरकारी राजकोषीय व्यवस्था को स्वतंत्र कर देने का विचार दिया। भारत में आर्थिक नियोजन तथा समकालीन आर्थिक मुद्दे व दीर्घकाल में भारतीय अर्थव्यवस्था को मजबूत बनाने के लिए जिन संस्थानों को स्वतंत्रता के पश्चात स्थापित किया गया। उनकी स्थापना में डॉ. अम्बेडकर का अहम योगदान रहा।

अंगिकार पत्र (तथ्य पत्र):

वर्ष 1923 में उन्होंने 'बहिष्कृत हितकारिणी सभा' (आउटकास्टस वेलफेर एसोसिएशन) की स्थापना की, जो दलितों के बीच शिक्षा और संस्कृति के प्रचार-प्रसार के लिए समर्पित थी।

वर्ष 1930 के कालाराम मंदिर आंदोलन में अम्बेडकर ने कालाराम मंदिर के बाहर विरोध प्रदर्शन किया, क्योंकि दलितों को इस मंदिर के परिसर में प्रवेश नहीं करने दिया जाता था। इन्होंने भारत में दलित आंदोलन को शुरू करने में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई।

डॉ. अम्बेडकर ने हर बार लंदन में तीनों गोलमेज सम्मेलनों (1930-32) में भाग लिया और सशक्त रूप से 'अछूत' के हित में अपने विचार व्यक्त किये।

वर्ष 1932 में उन्होंने महात्मा गांधी के साथ पूना समझौता (Poona Pact) पर हस्ताक्षर किये, जिसके परिणामस्वरूप वंचित वर्गों के लिए अलग निर्वाचक मंडल (सांप्रदायिक पंचाट) को त्याग दिया गया। हालाँकि दलित वर्गों के लिए आरक्षित सीटों की संख्या प्रांतीय विधानमंडलों में 71 से बढ़ाकर 147 तथा केंद्रीय विधानमंडल में कुल सीटों का 18% कर दी गई।

वर्ष 1936 में बाबासाहेब अम्बेडकर ने स्वतंत्र लेबर पार्टी (Independent Labour Party) की स्थापना की।

वर्ष 1939 में द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान उन्होंने बड़ी संख्या में नाज़िवाद को हराने के लिए भारतीयों को सेना में शामिल होने का आह्वान किया।

14 अक्तूबर, 1956 को उन्होंने अपने कई अनुयायियों के साथ बौद्ध धर्म ग्रहण किया। उसी वर्ष उन्होंने अपना अंतिम लेखन कार्य 'बुद्ध एंड हिज धर्म' (Buddha and His Dharma) पूरा किया।

वर्ष 1990 में डॉ. बी. आर. अम्बेडकर को भारत रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया गया था।

14 अप्रैल 1990 से 14 अप्रैल 1991 की अवधि को बाबासाहेब की याद में 'सामाजिक न्याय के वर्ष' के रूप में मनाया गया।

भारत सरकार द्वारा डॉ. अम्बेडकर फाउंडेशन को सामाजिक न्याय और आधिकारिता मंत्रालय (Ministry of Social Justice and Empoverment) के तत्वाधान में 24 मार्च, 1992 को सोसायटी पंजीकरण अधिनियम (Societies Registration Act) 1860 के तहत एक पंजीकृत सोसाइटी के रूप में स्थापित किया गया था।

फाउंडेशन का मुख्य उद्देश्य बाबासाहेब डॉ. बी. आर. अम्बेडकर की विचारधारा और संदेश को भारत के साथ-साथ विदेशों में भी जनता तक पहुँचाने के लिए कार्यक्रमों और गतिविधियों के कार्यान्वयन की देखरेख करना है।

डॉ. अम्बेडकर की कुछ महत्वपूर्ण कृतियाँ :

समाचार पत्र 'मूकनायक' (1920), ऐनिहिलेशन ऑफ कास्ट (1936), द अनटचेबल्स (1948), बुद्ध और कार्लमार्क्स (1956) इत्यादि।

इस प्रकार डॉ. बाबासाहेब अम्बेडकर जी के चिंतन का सर्वाधिक प्रखर रूप जातिवाद के खिलाफ एक सशक्त आंदोलन के रूप में दिखाई देता है। वे हमारे सामने अनेक रूपों से उभरकर आते हैं। वे एक उच्च कोटि के विद्वान, सुलझे हुए विचारक, ओजस्वी लेखक एवं पत्रकार, वकील, संविधान के महान पंडित और दलित शोषित तथा पीडित मानवता के प्रबल समर्थक, मसीहा तथा प्रेरणास्रोत थे। इन सबसे बढ़कर डॉ. अम्बेडकर सामाजिक क्रांति के जनक थे। भारतीय संविधान में मौलिक अधिकारों का समावेश और दलितों के लिए सभी क्षेत्रों में आरक्षण की व्यवस्था में सर्वाधिक योगदान डॉ. बाबासहब अम्बेडकर का ही है। उन्होंने दलितों, पिछड़ों, अस्पृश्यों के विरुद्ध सदियों से हो रहे अन्याय का न केवल सैद्धांतिक रूप से विरोध किया अपितु अपने कार्य कलापों, आन्दोलनों के माध्यम से शोषित वर्ग में आत्मबल तथा चेतना जाग्रत करने का सराहनीय प्रयास किया। इस प्रकार अम्बेडकर का जीवन समर्पित लोगों के लिए सीखने तथा प्रेरणा का नया स्रोत बन गया।

इतिहासकार आर.सी. गुहा के अनुसार डॉ. बी.आर. अम्बेडकर अधिकांश विपरीत परिस्थितियों में भी सफलता का अनूठा उदाहरण है। आज भारत जातिवाद, सांप्रदायिकता, लैंगिक, अलगाववाद, असमानता आदि जैसी कई सामाजिक-आर्थिक चुनौतियों का सामना कर रहा है। हमें अपने भीतर अम्बेडकर की भावना को खोजने की जरूरत है, ताकि हम इन चुनौतियों से खुद को बाहर निकाल सकें।

सहायक ग्रंथ :

1. बाबा भीमराव अम्बेडकर की प्रासंगिकता- जवाहरलाल सिंह
2. बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर और उनके विचारों की प्रासंगिकता- प्रतीक तिवारी
3. अम्बेडकर का सामाजिक दर्शन एवं प्रासंगिकता- रश्मि बी.
4. राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद- पि. एल, मल्होत्रा
5. बाबा साहेब अम्बेडकर की पुण्यतिथि- जनसत्ता
6. डॉ. अम्बेडकर चिंतन, बौद्ध दर्शन- माता प्रसाद
7. बाबासाहेब डॉ. अम्बेडकर- देबेन्द्र प्रसाद माझी
8. भारतीय राजनीतिक विचारक बी. आर. अम्बेडक- दृष्टि आईएएस
9. बाबा साहेब डॉ. अम्बेडकर का सृजनात्मक साहित्य- फॉरवर्ड प्रेस
10. वर्तमान के संदर्भ में अम्बेडकर की पत्रकारिता का महत्वपूर्ण- कृपाशंकर चौबे
11. भीमचेतना (पत्रिका)
12. दलित चेतना- डॉ. मुन्ना तिवारी
13. डॉ. अम्बेडकर का विचार दर्शन- डॉ. रामगोपाल सिंह